न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 29/2017

रविन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जोगी निवासी बसई तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायव तहसीलदार रूदावल (भरतपुर)

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश नायव तहसीलदार रूदावल दिनांक 02.02.2016 पत्रावली संख्या 37/2014 उनवानी रिपोर्ट पटवारी बनाम रविन्द्र कुमार अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री हेमराज शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 24.02.2021

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश नायव तहसीलदार रूदावल दिनांक 02.02.2016 पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 2884 रकवा 99.17 वीघा में से 0.05 वीघा पर अतिक्रमी मानते हुये बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिजी के है। विवादित आराजी बहुत बडा रकवा है जिस पर ग्राम की बहुत बडी आबादी बसी हुई है। ग्रामवासी अपने पूर्वजों के समय से इस भूमि पर बसे हुये है इसमें से बहुत से लोगों को भूमि आवटित हो चुकी है। अपीलान्ट भी इस भूमि पर छप्परनुमा घर बनाकर पूर्वजो के समय से ही रह रहा है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई मौका नहीं दिया गया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी तब हुई जब पटवारी हल्का ने दिनांक 18.05.2017 को भूमि खाली कराने की धमकी दी। दिनांक 19.05.2017 को अधीनस्थ न्यायालय से नकल प्राप्त कर अपील जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिए दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से पेश किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत नायव तहसीलदार रूदावल के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.02.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.02.2016 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना

जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का विवादित आराजी खसरा नम्बर 99.17 बीघा वाकै ग्राम बरताई किस्म गैरमुमकिन पहाड में से 0.05 पर गैत बना कर अतिक्रमण किया जानासाबित होता है। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा/अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट का यह कहना कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.02.2016 की उसको जानकारी नहीं थी जबकि तहत न्यायालय की पत्रावली की आर्डरसीट दिनांक 02.02.2016 पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर मौजूद है। अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार कुम्हेर की पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)